

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 16/ सीएर 1983-99

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री. सुभाष निगावत
जिला स्कूल सोयायटी जिला सीकर का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान
अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया
गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक सीकर माह जून सन् एक हजार नौ सौ अठ्ठा
सीकर में दिया गया।



(Signature)
रजिस्ट्रार (संस्थाएं)

राजकीय मुद्रणालय, उदयपुर।